

पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय

संसदीय अधिनियम 25 (2009) के द्वारा स्थापित

Central University of Punjab Established vide Act No. 25 (2009) of Parliament यात्रा आवेदन सह आदेश / Tour Application cum Order

| डॉ./१ | श्री/सुश्री | , पदनाम | , कार्यालय/केंद्र | | |
|---|---|---|--------------------|---------|-------------------|
| Dr/Mr/Ms | | , Designation | | | |
| की आवेदित सरकारी यात्रा पर स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है: | | | | | |
| is being sanctioned the applied official tour as follows: | | | | | |
| 1. | मूल वेतन (मूल+ग्रेडपे) Basic Pay (BP+GP): | | | | |
| 2. | यात्रा का स्थान Pla | ace of Tour | | | |
| 3. | . यात्रा का उद्देश्य Purpose of Tour | | | | |
| 4. | पिछली यात्रा का विवरण Last Tour undertaken: | | | | |
| 5. यात्रा का माध्यम (हवाई/रेल/बस/टैक्सी आदि) Mode of Journey (Air/Rail/Bus/Taxy etc.) | | | | | |
| क) | यात्रा की अवधि D | uration of Tour: दिनांक From | से t | 0 | |
| ख) | यात्रा अवधि में आ | कार्यालयीन उद्देश्यों हेतु अवकाश की तिथि: | दिनांक | से | |
| | | re, Holiday availed in tour for unoff | | | |
| 6. | मुख्यालय से बाहर | रहने की तिथि Absence from Head Qu | arter: From | से to _ | |
| 7. | यात्रा भत्ते का स्रोत | Source of TA | | | |
| 8. | दैनिक/खुराक भत्ते | का स्रोत Source of DA | | | |
| 9. | अग्रिम राशि, यदि | आवश्यक हो Advance required, if any | : | | |
| 10. | मोबाइल सं. Mob | ile No.: | _ | | |
| 11. | अवकाश के दौरान | आपकी कक्षाएं/कार्यभार लेने वाले संकाय व | के हस्ताक्षर नाम _ | | (केवल संकाय हेतु) |
| | | culty taking your classes/charge dur | | | |
| | | | | | |
| | | | | | आवेदक Applicant |
| अग्रेष | णकर्ता अधिकारी के हस | ताक्षर Signature of Forwarding Officer | | | |
| नाम/ो | Name: | पदनाम/Designation: | | | |
| | | | | | |
| स्वीकृत/अस्वीकृत | | | | | |
| Sanctioned/Refused | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| स्वीकृतिदाता अधिकारी/Sanctioning Officer* | | | | | |
| पति पेषित CC to: | | | | | |

1. आवेदक को इस आशय से कि वह यात्रा से लौटने के तुरंत बाद यात्रा विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करे Applicant to put the claim in prescribed format immediately after return from tour.

*यात्रा हेत् 15,000 रूपए तक के अग्रिम के लिए डीन अकादिमक, और इससे अधिक की राशी के लिए कुलपित की स्वीकृति आवश्यक है।

^{*}Sanction of DAA for advance upto Rs. 15,000 and sanction of Vice Chancellor for more than Rs. 15,000 is required.